न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़, जिला बाड़मेर,

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–।

राजस्व वाद सं. 11/2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सरसो पत्नी गुलाम 2. रहमत पत्नी हाकम, जाति–मुसलमान, नि0 देताणी तह0 गडरारोड़		1. विक्रमसिंह पुत्र नरसिंह, जाति – राजपुरोहित नि0 रडवा तह व जिला बाडमेर 2. शाखा प्रबंधक (आर.एम.जी.बी. बैक) शाखा जैसिन्धर तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर 3. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाडमेर

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील वादीगण

राजस्व वाद 88, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :–20/1/26

निर्णय

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त के खेत मौजा–देताणी, पटवार मण्डल–राणासर तह0 गडरारोड़ का खेत खसरा नम्बर 2377, 2434 रकबा क्रमशः 6.7582, 3.9254 हैक्टेयर के आये हुए है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि दिनांक 11.02.1999 को पूर्व खातेदार अनवर, नूरू पिसरान् कमाल, हिदाई पत्नी कमाल जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा तथा पूर्व खातेदार भूरा पुत्र हासम जिसका वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा एवं पूर्व खातेदार कांदू पुत्र मांजी का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा व साजन पुत्र सिदिक जिसका वादग्रस्त आराजी मे 1/12 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का बनता था, से उनके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि क्रय की गई थी और वक्त खरीद राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से दर्ज नहीं थे लेकिन नामान्तकरण खोलते समय नामान्तकरण मे हिस्से दर्ज थे। उसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि के खातेदार सुमार पुत्र सिदिक का 1/12 अर्थात 5.10 बीघा भूमि शेष रही थी। उसके पश्चात् खातेदार सुमार पुत्र सिदीक द्वारा दिनांक 06.05.2014 को जरिये पंजीबद्व विक्रय पुत्र से अपने 1/12 हिस्से की भूमि (5.10 बीघा) के स्थान पर 1/6 हिस्सा (11.00 बीघा) भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया जबकि वास्तविक रूप से उसके 1/12 हिस्से में 5.10 बीघा भूमि ही खातेदारी अधिकारों की थी। उक्त बैचान वास्तविक हिस्से से अधिक हिस्से का बैचान होने से उसकी पालना में खोला गया नामान्तकरण संख्या 1036 प्रारम्भ से ही शून्यकरणीय होने से शून्य घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 11/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का बनता है और इसी अनुसार वादीगण राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण 1 से 3 को तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दिनांक 10.07.2025 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में वादीनी की ओर से गवाहान में वादी स्वंय सरसों पी.डब्लू.–1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजात में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर गडरारोड़

हमने वाद के तथ्यों पर वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादीगण द्वारा दिनांक 11.02.1999 को पूर्व खातेदार अनवर, नूरू पिसरान् कमाल, हिदाई पत्नी कमाल जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा तथा पूर्व खातेदार भूरा पुत्र हासम जिसका वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा तथा पूर्व खातेदार कांदू पुत्र मांजी का 1/6 हिस्सा व साजन पुत्र सिदिक का 1/12 हिस्सा बनता था और शेष 1/12 हिस्से के खातेदार सुमार पुत्र सिदिक ने तत्समय अपने हिस्से की भूमि का बैचान नही किया गया। उसके द्वारा अपने 1/12 हिस्से की भूमि का बैचान दिनांक 06.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 को किया और उसके 1/12 हिस्से में 5.10 बीघा भूमि ही बनती है जबकि पूर्व खातेदार सुमार द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को 11.00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया जो गलत था और दस्तावेजात के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1036 दिनांक 05.11.2014 नामान्तकरण त्रृटिपूर्ण भरा गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण का 11/24–11/24 हिस्से की संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 2377, 2434 रकबा क्रमशः 6.7582, 3.9254 हैक्टेयर मौजा–देताणी, पटवार मण्डल–राणासर तह0 गडरारोड़ भूमि मे गलत रूप से दर्ज हिस्सो को शुद्व कर प्रत्येक वादीगण को 11/24 –11/24 हिस्सा का खातेदारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदुनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर, गडरारोड़, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–।)

राजस्व वाद सं. 11/2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सरसों पत्नी गुलाम 2. रहमत पत्नी हाकम, जाति–मुसलमान, नि0 देताणी तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर		1. विक्रमसिंह पुत्र नरसिंह, जाति–राजपुरोहित नि0 रडवा तह0 व जिला बाडमेर 2. शाखा प्रबंधक (आर.एम.जी.बी.) बैंक शाखा जैसिन्धर तहसील गडरारोड़ जिला बाडमेर 3. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाडमेर

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील वादीगण

राजस्व वाद 88,188,207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अन्तिम डिक्री

वादीगण को आज दिनांक 20.1.26... को सहायक कलक्टर गडरारोड़ के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 2377, 2434 रकवा क्रमशः 6.7582, 3.9254 हैक्टेयर मौजा–देताणी, पटवार मण्डल–राणासर तह0 गडरारोड़ भूमि मे गलत रूप से दर्ज हिस्सो को शुद्व कर वादी संख्या 1 को 11/24 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 11/24 हिस्सा का खातेदारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

यह डिक्री आज तारीख 20.1.26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(SDO) गडरारोड़

सहायक कलक्टर गडरारोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:27 IST
Reason: SelfAttested